कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन,भोपाल–462004

क्रमांक **361**/999/सम्बद्धता/आउशि/17 भोपाल,दिनांक– 17/02/2017.

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः–विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा भवन में वृद्धि के साथ नवीन विषय प्रारंभ करने हेतु प्राप्त आवेदनों की भौतिक स्थिति की जांच करने बाबत्।

—0—

सत्र 2017–18 हेतु आपके जिले के जिन विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा महाविद्यालय भवन में वृद्धि के दस्तावेजों के साथ नवीन पाठ्यक्रमों की अनुमति चाही गई है, ऐसे महाविद्यालयों की भौतिक स्थिति/स्थल का निरीक्षण किया जाना है।

2. आपके जिले से प्राप्त पोर्टल पर दर्ज नवीन अशासकीय महाविद्यालयों के आनलाईन आवेदन अनुसार भौतिक स्थल निरीक्षण कार्य 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए।

3. भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट online NOCMS पर संबंधित आवेदनों के समक्ष स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रविष्ट कर मुख्यालय को अग्रेषित करें। भौतिक सत्यापन हेतु निरीक्षण की चेक लिस्ट में दिये गये बिन्दु अनुसार जानकारी दर्ज कर प्राचार्य के हस्ताक्षर सहित प्रतिवेदन, भौतिक सत्यापन निरीक्षण की दिनांक, निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम, निरीक्षण स्थल के फोटोग्राफ तथा निरीक्षण के लगभग पांच मिनिट के वीडियों सहित online NOCMS पर अपलोड कराया जाना है। निरीक्षण की चेक लिस्ट का प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है।

4. इस कार्य हेतु अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य तत्काल एक या एक से अधिक आवश्यकतानुसार दल गठित करें और उनके माध्यम से जिले के समस्त नवीन अशासकीय महाविद्यालयों के आवेदनों के प्रस्तावित स्थलों पर जाकर भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित करें।

5. ये सभी निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग के पोर्टल http://mphighereducation.nic.in पर ऑनलाईन किए जाएगें, अतः जांच करते समय मार्गदर्शी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सर्तकता बरती जाए।

(आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

17.2.17

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक **362** /999/सम्बद्धता/आउशि/17 भोपाल,दिनांक–17/02/2017.

प्रतिलिपिः–

1. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, विन्ध्याचल भवन,भोपाल की ओर NOCMS online application पर आवश्यक प्रावधान उपलब्ध कराने हेतु।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय को समय–सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिये निर्देश देने हेतु प्रेषित।
3. अशासकीय महाविद्यालयों की समिति के सचिव निरीक्षण दल का समय सीमा में भौतिक सत्यापन निर्धारित प्रारूप अनुसार कराने में सहयोग करें।

17.2.17

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

चेक लिस्ट

विद्यमान महाविद्यालय में आवेदित नवीन पाठ्यक्रम के लिये
निरीक्षण प्रोफार्मा–सत्र 2017–18

महाविद्यालय का नाम व पूर्ण पता ....

....

1. संस्था के नाम भवन/भूमि की जानकारी
   किराया/स्वामित्व/30 वर्ष की लीजडीड..
2. महाविद्यालय भवन कितने वर्षो से किराये पर है ....
3. महाविद्यालय भवन में निर्मित क्षेत्रफल में वृद्धि की गई है तो वृद्धि संबंधी अग्रणी महा0 से सत्यापित दस्तावेजों की छायाप्रति ....
4. कालेज कोड 28 की जानकारी ....
5. यूजीसी वेतनमान बैंक द्वारा भुगतान संबंधी ....
   विवरण पत्रक/ईपीएफ कटोत्रा की जानकारी
6. भवन में कक्षों का विवरण क्षेत्रफल सहित। ....
7. खेल मैदान की जानकारी ....
8. उक्त भवन में पूर्व से संचालित समस्त ....
   पाठ्यक्रमों का विवरण ....
9. सत्र 2008–09 के पूर्व से संचालित महा–विद्यालयों के लिये एफ.डी.आर.जीवित होने की जानकारी **(नियमानुसार)** ....
   ....
10. कम्प्यूटर कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, ...
11. पुस्तकालयकक्ष की जानकारी ....
12. महाविद्यालय भवन में कम्प्यूटर पुस्तकों ....
    की संख्या एवं उपकरणें की जानकारी
13. महाविद्यालय में पार्किंग व्यवस्था की ....
    जानकारी ....
14. महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम के अनुपात में नवीन पाठ्यक्रम हेतु पर्याप्त व्यवस्था है। ....
    ....

<u>महाविद्यालय का नाम व पूर्ण पता</u> ....

15. महाविद्यालय में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रम

16. भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल(वर्गफीट में) ....

15. ऑनलाइन में प्रवेशित छात्रों की संकायवार संख्या ....

नोट : समस्त बिन्दुओं संबंधी मार्गदर्शिका के प्रावधानानुसार प्रमाणिक दस्तावेज

समिति सदस्यों के नाम पदनाम एवं हस्ताक्षर	**अभिमत**
1	
2	
3	

अग्रणी महाविद्यालय क प्राचार्य का अभिमत

हस्ताक्षर

नोटः–1–उपरोक्त दर्शाये गये समस्त बिन्दुओं को पूर्ण रूप से भरना अनिवार्य है।
2–निरीक्षण समिति/एवं प्राचार्य अपना अभिमत स्पष्ट रूप से अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।